सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 09 चैत्र, 1944 (श०)
30 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 05

(1)	ग्रामीण विकास विभाग	.. ..	02
(2)	श्रम संसाधन विभाग	.. ..	01
(3)	ग्रामीण कार्य विभाग	.. ..	02
		कुल योग --	05

युवाओं को रोजगार मुहैया कराना

131. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य एवं स्वनियोजन में रोजगार सृजन से संबंधित दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना संचालित है जो कौशल विकास का ट्रेनिंग देकर वर्षों से रोजगार मुहैया कराते आ रहे हैं जिसका नोडल एजेंसी जीविका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में कुल 119 P.I.A विगत दो वर्षों से P.A.C के लिये प्रतीक्षारत है जिसमें कुल 30,000 (तीस हजार) बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर रोजगार मुहैया किया जाना है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना को बिहार जीविका के वर्तमान C.E.O एवं ग्रामीण विकास विभाग के अवर मुख्य सचिव स्तर से लम्बित रखा गया है जिसके कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक बंद पड़े प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को पुनः चालू कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

132. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 जनवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "आई0टी0आई0 की आधी से अधिक सीटें रह गई खाली" के आलोक में क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी व गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) की संख्या 1328 है जिनमें एक लाख 15 हजार 838 सीटें हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सत्र 2021-23 में कुल सीटों की तुलना में 52 हजार 127 छात्रों ने ही नामांकन लिया है जो 45 प्रतिशत ही है, जबकि 2018-20 में 87.22 प्रतिशत 2019-21 में 82.02 प्रतिशत तथा 2020-22 में 70.78 प्रतिशत छात्रों ने नामांकन कराया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त आई0टी0आई0 में शत-प्रतिशत नामांकन कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

133. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 जनवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक " 23 हजार भूमिहीन परिवारों के आवास की जमीन की व्यवस्था जल्द" के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 23 हजार भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास नहीं बन सका है, उन्हें सरकार द्वारा भूमि क्रय कर या पर्चा/बंदोबस्ती कर भूमि उपलब्ध कराना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पी0 एम0 आवास योजना के तहत तीन डिसमिल जमीन के लिये भूमिहीनों को 60 हजार रुपया दिया जाता है जिस राशि में तीन डिसमिल जमीन नहीं खरीदी जा सकती है क्योंकि सरकार द्वारा निबंधन हेतु निर्धारित जमीन की दर ज्यादा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार निबंधन कार्यालयों में क्रय-विक्रय के लिये तय जमीन के बाजार मूल्य के अनुसार लाभुकों को तीन डिसमिल आवासीय भूमि की खरीद के लिये राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अंशतः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में सम्प्रति 20,857 वास स्थल विहीन लाभुक शामिल हैं, जिसमें से 2,107 लाभुकों को "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के तहत वास भूमि क्रय हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है । शेष 18,750 लाभुकों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि बंदोबस्ती अथवा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत वास भूमि क्रय करने वास भूमि करने हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना है ।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अनुसार आवास निर्माण के लिये न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का क्षेत्र निर्धारित है ।

लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा लाभार्थी के पंचागत अन्तर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण के लिये उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के तहत वास भूमि क्रय हेतु 60 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

(3) योजनान्तर्गत लाभुकों को पंचायत अन्तर्गत योग्य वास भूमि का चयन कर प्रखंड कार्यालय को सूचित करने का प्रावधान है । लाभुकों द्वारा वास भूमि के चयन में विलम्ब के कारण योजना का लाभ देने में अधिक समय लगता है ।

सभी वास भूमि विहीन लाभुकों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ संयुक्त रूप से जिलों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है ।

सड़क का निर्माण

134. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में टोलों एवं बसावटों को जोड़ने हेतु सम्पर्क पथ के निर्माण में भूमि की अनुपलब्धता प्रमुख समस्या है, जहाँ गरीब, अतिपिछड़ों, अनूसूचित जाति के भूमिहीन परिवार निवास करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार किसी भी योजना के लिये भू-धारियों को मुआवजा देकर भूमि का अधिग्रहण करती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टोलों एवं बसावटों को सम्पर्क पथ से जोड़ने हेतु भूमि अधिग्रहण कर सड़क निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़कों का चौड़ीकरण

135. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के औरंगाबाद जिला सहित पूरे राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण कराये जा रहे सड़कों का चौड़ीकरण नहीं कराकर केवल सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है, जबकि प्रावधान सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण करने का है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक औरंगाबाद जिला सहित पूरे राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण सहित सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 30 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 131(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550